उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या–1486–कार्य/चौदह–पाकालि/2011–46–के/2009 दिनांक 29/12/2011

1. मुख्य अभियन्ता (नियोजन)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (आर0ए0यू0)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (रेस्पो)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (ऊर्जा प्रणाली)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (सी.एम.यू.(डी))
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (जानपद) पारेषण–द्वितीय
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता (पी0पी0ए0)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. मुख्य अभियन्ता (ऊर्जा–लेखा)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. मुख्य अभियन्ता (जाँच समि0–II)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. मुख्य अभियन्ता (यूनीफाइड स्कीम)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. संयुक्त सचिव (स0प्र0)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन, लखनऊ।
14. उप महाप्रबन्धक (लेखा–प्रशासन)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन, लखनऊ।
15. मुख्य अभियंता(पी0एम0यू0),
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
16. मुख्य अभियंता(कम्प्यूटराईजेशन)
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

विषयः– उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 के माध्यम से संविदा पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–160/पीएसएमडी दिनांक 24.03.2009 (सुलभ सन्दर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में रिक्त पदों के विरूद्व नियमित नियुक्ति न हो पाने के कारण पूर्व में उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 के माध्यम से संविदा पर रखे जाने हेतु कार्मिक की स्वीकृति दिनांक 31.03.2012 तक दी गई थी।

उक्त के सन्दर्भ में दिनांक 01.04.2012 से संविदा पर पर वांछित कार्मिको का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में कारपोरेशन (मुख्यालय) को प्राथमिकता पर 15.01.2012 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। पदों की स्वीकृति सम्बन्धित कारपोरेशन आदेश की प्रति प्रारूप में प्रस्तुत विवरण के अनुसार अवश्य संलग्न करें, जिससे ससमय आवश्यक कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सके अन्यथा विलम्ब के कारण कार्यों में उत्पन्न व्यवधान हेतु सम्बन्धित इकाई प्रमुख स्वयं जिम्मेदार होंगे।

........2/–........

क्र0सं0	पदनाम	मूल पदों की स्वीकृति संख्या एवं आदेश संख्या (कारपोरेशन आदेश की प्रति सहित)	31.03.2012 तक नियमित कार्यरत कार्मिकों की संख्या	31.03.2012 तक रिक्त पदो की संख्या	31.03.2012 तक संविदा के माध्यम से कार्यरत पदों की संख्या	01.04.2012 से संविदा के माध्यम से न्यूनतम कार्मिकों का आवश्यकता
1	2	3	4	5	6	7

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय
24.12.11
(वी0वी0 श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव (कार्य)

प्रतिलिपि संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शाक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव की शिविर पत्रांक–160/PSAMD/09, दिनांक 24.03.2009 के संदर्भ में संयुक्त प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु ।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0,

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग,

लखनऊ।

सं0- 160/PSAMD/09 दिनॉक-24.03.2009

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उ0प्र0 ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों द्वारा समय-समय पर उ0प्र0 भू0पू0 सैनिक कल्याण निगम लि0 के माध्यम से कम्प्यूटर आपरेटर, आशुलिपिक, चपरासी एवं ड्राइवर आदि वर्ग के कर्मचारियों को संविदा पर रखा जाता है।

प्रायः यह देखा जा रहा है कि इस प्रकार संविदा पर कर्मचारियों को रखने सम्बन्धी प्रस्ताव विभिन्न कार्यालयों द्वारा सीधे अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत किये जाते हैं, जिसके फलस्वरूप ऐसे कर्मचारियों की केन्द्रीयकृत सूचना (Centralised Information), एक स्थान पर न होने के कारण इनकी वास्तविक आवश्यकता तथा कार्यरत कार्मिकों की संख्या का पता नहीं चल पाता है।

इस सम्बन्ध में एतद्द्वारा यह आदेशित किया जाता है कि उ0प्र0 सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से संविदा पर कार्मिकों को रखने सम्बन्धी प्रस्ताव निदेशक (का0प्र0प्रशा0) के माध्यम से प्रस्तुत किया जाय, जिस पर उनकी सहमति के पश्चात प्रस्ताव निदेशक (वित्त) के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत किये जायें। इस प्रकार के कार्मिकों की स्वीकृति सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यौरा निदेशक (का0प्र0प्रशा0) के स्तर पर रखा जाय ताकि इसकी केन्द्रीयकृत सूचना आवश्यकता पड़ने पर मुख्यालय स्तर से प्राप्त हो सके।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अपर प्रबन्ध निदेशक

सं0- 160/पीएसएएमडी/09 तद् दिनॉक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु इस आशय से प्रेषित कि संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा निदेशक (का0प्र0प्रशा0) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. निदेशक (का0प्र0प्रशा0)/निदेशक (वितरण/वाणिज्य)/निदेशक (पारेषण) निदेशक (वित्त)।
2. अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता, पारेषण, पारेषण परि0, यूनीफाइड स्कीम, ऊर्जा प्रणाली, नियोजन, वाणिज्य, पी0पी0ए0, ऊर्जा लेखा, ए0पी0टी0पी0, आर0ए0यू0, जल-विद्युत, जॉच इकाई-प्रथम एवं द्वितीय, सी0एम0यू0डी0, जानपद- पारेषण/वितरण,।
4. मुख्य अभियन्ता, सम्बद्ध अध्यक्ष।
5. मुख्य महाप्रबन्धक, लेखा, मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा-सम्प्रेक्षा)।

946-PSAMD/09

(नरेन्द्र भूषण)

अपर प्रबन्ध निदेशक

Ikoviplett er